[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 17/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयाति��त "वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 4409 10 10 या 4409 29 90 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या 14/34/2016-डीजीएडी, दिनांक 13 फरवरी, 2018, जिसे भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि -

(क) प्रश्नगत उत्पाद भारत को विषयगत देशों से समान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया था;

(ख) विषयगत देशों से आयातित इस प्रश्नगत उत्पाद की भरमार के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है ।

(ग) यह सारवान क्षति विषयगत देशों से,यू.ए.बी. बोएन, ई.यू. और ट्राकेट पोलस्का स्प. जू, पौलेंड (उत्पादक)/ट्राकेट, हांगकांग (निर्यातक) से होने वाले आयात को छोड़कर, हुए फालतू आयात के कारण हुई है ।

और जहां कि घरेलू उद्योग को हुइ इस क्षति को दूर करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपापाटन शुल्क लगाने की सिफारिश की है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त

सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) में निर्दिष्ट तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से और कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	यूओएम	मुद्रा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	4409 10 10 या 4409 29 90	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	यू.ए.बी. बोएन	यू.ए.बी. बोएन	शून्य	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.
2	4409 10 10 या 44092990	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	यूरोपीय संघ	हांग कांग	ट्राकेट पोलस्का स्प. जू	ट्राकेट हांग कांग	शून्य	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.
3	4409 10 10 या 4409 29 90	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	यूरोपीय संघ	यूरोपीय संघ	कोई भी	कोई भी	6.91	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.
4	4409 10 10 या 4409 29 90	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	यूरोपीय संघ	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई	कोई भी	कोई भी	6.91	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.

				भी देश					
5	4409 10 10 या 4409 29 90	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई भी देश	यूरोपीय संघ	कोई भी	कोई भी	6.91	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.
6	4409 10 10 या 4409 29 90	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	1.21	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.
7	4409 10 10 या 4409 29 90	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	इंडोनेशिया	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	1.21	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.
8	4409 10 10 या 4409 29 90	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	कोई भी	1.21	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.
9	4409 10 10 या 44092990	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.56	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.
10	4409 10 10 या 4409299	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	कोई भी	0.56	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.

	0		भी देश						
11	4409 10 10 या 4409 29 90	वेनीयर्ड इंजीनियर्ड वूडेन फलोरिंग	चीन जनवादी गणराज्य	प्रतिपाटन शुल्क वाले देश से भिन्न कोई भी देश	कोई भी	कोई भी	0.56	वर्ग मीटर	अमे.डॉ.

2. लगाए गए या प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, **1962 (1962** का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम सीमा शुल्क अधिनियम, **1962** की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या.**354/61/2018**-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार